प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, S.B.S. Marg, Fort, Mumbai - 400 001
फोन/Phone: 022 - 2266 0502

17 मई 2022

आरबीआई ने सर्वव्यापी बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण के लिए दिशानिर्देशों के तहत प्राप्त छ: आवेदनों पर लिए गए निर्णय की घोषणा की

रिज़र्व बैंक को सर्वव्यापी बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण के लिए दिशानिर्देशों के तहत बैंक स्थापित करने हेतु 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदकों के नामों की घोषणा 15 अप्रैल, 30 अगस्त और 31 दिसंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनियों द्वारा की गई थी।

इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छ: आवेदनों की जांच अब पूरी कर ली गई है। आवेदनों के मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित आवेदक, बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु उपयुक्त नहीं पाए गए:

सर्वव्यापी बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण के लिए दिशानिर्देशों के तहत उपयुक्त न पाए गए आवेदक

1. यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
2. दि रीपैट्रीएट्स को-ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड (आरईपीसीओ बैंक)
3. चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड
4. श्री पंकज वैश्य और अन्य

लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण के लिए दिशानिर्देशों के तहत उपयुक्त न पाए गए आवेदक

1. वी सॉफ्ट टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
2. कालीकट सिटी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

शेष आवेदनों की जांच की जा रही है।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/220